तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 254/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/456) वअनवान विजयसिंह बनाम करणजीतसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

विजयसिंह

बनाम

करणजीतसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02
   रेस्पोडेंट संख्या एक बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.03.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 397/2024 अनवान विजयसिंह बनाम करणजीतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 427/145/1 रकबा 06.07 बीघा ग्राम जोलीयाली अपीलांट की खातेदारी की भूमि है तथा अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट को जरिये बंटवाड़ा प्राप्त हुई है। रेस्पोडेंट संख्या एक भूमि खसरा नंबर 427/145 रकबा 36.19 बीघा का खातेदार है। रेस्पोडेंट संख्या एक जबरदस्ती अपीलांट की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर उतारू है, जिसे अपीलांट की भूमि में निर्माण करने एवं दखलंदाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला; सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई जारी करने से इंकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को निरस्त किया जावे एवं मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलांट की खातेदारी भूमि न तो स्वयं दखलंदाजी करे तथा न ही किसी अन्य से करावे, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ एवं निर्माण कार्य नहीं करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 427/145/1 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांशी अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है जो सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 142/2009 अनवान सुमेरसिंह बनाम महेन्द्रसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 मई 2016 की पालना में विभाजित हुई है। वर्तमान नक्शा द्रेस में अपीलांट की उक्त आराजी तरमीम होकर स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध होना प्रतीत होती है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। रेस्पोडेंट संख्या एक को अपीलांट की सहखातेदारी भूमि में दखलंदाजी/अवरोध पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है जो अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं पाया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर स्पीकिंग आदेश पारित करते हुए अंतिम निस्तारण करे। तब उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर